न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 138/2016

1. किशनलाल उर्फ किशन पुत्र श्री भवरलाल जाति गुर्जर उम्र 32 वर्ष निवासी बालाजी की डूंगरी सावतसर तह. किशनगढ़ जिला अजमेर
2. कानाराम पुत्र श्री छोगा जी जाति गुर्जर उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम देवनगर बागोलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर
3. श्री शैतानराम पुत्र श्री कानाराम गुर्जर उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम देवनगर बागोलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर
4. श्री राजेश पुत्र श्री कानाराम जाति गुर्जर नाबालिग
5. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री कानाराम जाति गुर्जर नाबालिग
6. कुमारी काली पुत्री श्री कानाराम जाति गुर्जर नाबालिग
7. कुमारी रेखा पुत्री श्री कानाराम जाति गुर्जर नाबालिग
8. कुमारी सोनू पुत्री श्री कानाराम जाति गुर्जर

समस्त क्रम संख्या 04 से 08 नाबालिगान जरिये उसके नेसर्गिक सरक्षक पिता कानाराम पुत्र श्री छोगा जी जाति गुर्जर उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम देवनगर बीगोलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर ———प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार किशनगढ
2. आयुक्त नगर परिषद, किशनगढ
3. उप पंजीयंक, पजीयन विभाग किशनगढ

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी – गणेश प्रजापत

वकील अप्रार्थी- स्वयं

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है प्रार्थी की और से वकील श्री गणेश प्रजापत द्वारा एक प्रार्थना पात्र अंतर्गत धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि ग्राम सावंतसर पटवार हलका सावंतसर भूअभिलेख क्षेत्र किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर मे स्थित चली आती है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-खाता सख्या 1
खसरा नम्बर 208/2 नया पुराना 208 मी. रकबा 5 बीघा, उपरोक्त आराजी कृषि भूमि आगे वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित की जावेगी। प्रार्थीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :- मुकना पुत्र करणा (फौत 15-8-1970) बाली देवी पत्नी मुकना (फौत) भवरलाल पुत्र मुकना (फौत), जिनके वारिसान इस प्रकार है कि श्रीमति गंगादेवी पत्नी फौत 07-09-1990, किशनलाल उर्फ किशन पुत्र जीवित, रतनी देवी पत्नी कानाराम पुत्री फौत, कानाराम पति तथा शैतानराम राजेश लक्ष्मण काली रेखा सोनू पुत्र एवम पुत्रिया,उपरोक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि प्रार्थी/वादी स.1 के के दादीससुर व वादी सख्या 3 से 8 के परनाना श्री मुकना पुत्र करना जाति गुर्जर निवासी सावंतसर के नाम दिनाक 18-7-1963 को श्रीमान् तहसीलदार, किशनगढ ने आवंटन पत्र जारी कर आवंटन किया था एव इसके पश्चात वादी स.1 के दादा, वादी सख्या 2 के दादीससुर।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी सख्या 3 से 8 के परनाना श्री मुकना अपने जीवनकाल मे काबिज होकर काश्त करते चले आये व उनकी मृत्यु के पश्चात वादी स.1 के पिता, वादी संख्या 2 के ससुर व वादी सख्या 3 से 8 के नाना श्री भवरलाल पुत्र मुकना काबिज होकर बिना रोक टोक के निर्बाध रूप से काश्त करते चले आये व श्री भवरलाल की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण बिना रोक टोक के निर्वाध रुप से निरन्तर व लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि आराजी प्रार्थी/वादी स.1 के दादा, वादी सख्या 2 के दादीससुर व वादी सख्या 3 से 8 के परनाना मुकना पुत्र करना जाति गुर्जर निवासी सांवतसर के नाम आबटंन केम्प किशनगढ दिनाक 18.7.1963 को ग्राम सावतसर तहसील किशनगढ के खसरा नम्बर 208 हाल खसरा सख्या 208/2 में से जो 5 बीघा भूमि का आवटन श्रीमान् तहसीलदार, किशनगढ द्वारा किया गया था वह आबटन पूर्ण कोरम के साथ विधिवत रुप से नियमानुसार किया गया था । उपरोक्त वादग्रस्त कृषि आराजी प्रार्थी/वादी स.1 के दादा, वादी सख्या 2 के दादीससुर व वादी सख्या 3 से 8 के परनाना स्व० श्री मुकना पुत्र श्री करना को जो उक्त वर्णनानुसार आबंटित की गयी थी उस आराजी पर आवंटन दिनांक 18-7-1963 से लेकर लगातार व निरन्तर निर्बाध रुप से काबिज काश्त रहा। यह कथन इस तथ्य से भी साबित है कि इसका राजस्व रिकार्ड मे खसरा परिवर्तनशील सवंत 2022 मे वादी स.1 के दादा, वादी सख्या 2 के दादीससुर व वादी सख्या 3 से 8 के परनाना श्री मुकना पुत्र श्री करना के नाम काश्त दर्शा रखी है एव पी-14 के विशेष कालम मे मन्जूरी अलाटमेन्ट स्पष्ठ अकिंत है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि आराजी प्रार्थी/वादी स.1 के दादा, वादी सख्या 2 के दादीससुर व वादी सख्या 3 से 8 के परनाना श्री मुकना पुत्र करना के नाम सम्वत 2046,2047 व 2048 की खसरा गिरदावरी सम्बत 2038 व 2041 की गिरदावरी में भी श्री मुकना पुत्र श्री करना कौम गुर्जर साखी देय अलोटी दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्बत 2032 से 2038 मे भी श्री मुकना पुत्र करना का नाम काश्त के रुप मे इन्द्राज है। उपरोक्त वर्णनानुसार वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि पर प्रार्थीगण दिनाक 18-7-1963 से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है व एडवर्स पजैसन व आंवटन की रुह से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है उपरोक्त वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि सम्बत 2041 मे राजस्व अधिकारियो एव कानूनगो की गलती से सिवायचक राजस्व रिकार्ड में अकंन दरामद की है जो कानूनन गलत व विधि विरुद्ध होने के कारण उक्त इन्दराज निरस्त होने योग्य है एव चुकि उपरोक्त वादग्रस्त कृषि आराजी वादी स.01 के दादा,वादी सख्या 2 के दादीससुर व वादी सख्या 3 से 8 के परनाना मुकना पुत्र करना के नाम आबंटित हो चुकी थी व आबंटन के पश्चात राजस्व रिकार्ड खसरा परिर्वतनशील गिरदावरी में भी साबित है कि उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी पर लगातार बीस वर्षों से अधिक समय तक निर्बाध रुप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है व वर्तमान मे भी काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आये है अर्थात वर्ष 1963 से वर्ष 2014 तक लगातार व निरन्तर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है अर्थात 51 वर्षों तक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जबकि आवंटन के 10 वर्षों के पश्चात प्रार्थी/वादी स.1 के दादा, वादी सख्या 2 के दादीससुर व वादी सख्या 3 से 8 के परनाना स्व० श्री मुकना खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के विधिक अधिकारी थे एव उन्हे खातेदार घोषित किया जाना न्यायहित मे उचित व आवश्यक था जिस बाबत राजस्व अधिकारियो एव कानूनगो ने सहवन से खातेदार घोषित नही किया इसलिए उक्त आराजी कृषि भूमि को सिवायचक सम्बत 2041 मे अकंन दरामद किया जो गलत व गैर कानूनी है जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि भौतिक कब्जा व काश्त के आधार पर वादीगण के नाम खातेदारी अकंन दरामद होनी चाहिये थी जो नही होने के कारण अप्रार्थी सख्या 2 के नाम गलत व गैर कानूनी रुप से अकंन दरामद की गयी जो कि वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

हक तक शून्य व प्रभावशून्य होकर प्रार्थीगण जरिये घोषणात्मक डिक्री एव स्थाई निषेधाज्ञा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। प्रार्थी स.1 के दादा, वादी सख्या 2 के दादीससुर व वादी सख्या 3 से 8 के परनाना श्री मुकना पुत्र करना के पक्ष मे किया गया आवटन विधिवत आवटन है जिस बाबत कोई शक शुबहा नही है एव उक्त आवंटन आज दिनाक तक सतत रुप से जारी है व किसी भी न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया गया है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार धारा 15 क क क के अनुसार अजमेर जिले के काश्तकारो के अधिकार एव स्वत्व सम्बन्धित दस्तावेज है तो उनको राजस्व रिकार्ड की विसंगतिया के दूर करते हुवे राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाना चाहिये था जबकि प्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन का अधिकार अभिलेख मे निवेदन के बावजूद आज दिन तक इन्द्राज नही किया गया है जो अनुचित व गलत है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि की खातेदारी हेतु दिनाक 5.9.2014 को अप्रार्थी सख्या 1 व 2 से निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि का वादीगण के नाम पर खातेदारी राजस्व रिर्काड मे अकंन दरामद कर देवे जिस पर प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के अधीनस्थ कर्मचारियो ने प्रार्थीगण को यह कहते हुवे की तुम न्यायालय के आदेश लेकर आवो उसके पश्चात ही तुम्हारे ना राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार अकंन किया जावेगा व अगर न्यायालय का आदेश प्रस्तुत नही किया तो उक्त आराजी अन्य के नाम पर आवंटित कर दी जावेगी। इसलिए प्रस्तुत वाद श्रीमान् के समक्ष वादपत्र व आवेदन पत्र हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई । अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त आवेदन मय खर्चे स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी सख्या 1 व 2 व या उनके नौकरान, एजेन्टस, अधिकारीगण व कर्मचारीगण इत्यादि वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि मे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे व करावे व उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि को किसी अन्य को- रहन दान, बैचान या हस्तान्तर नही करे एव अप्रार्थी सख्या 3 को भी पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि के हस्तांतरण बाबत सिवाय प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था के नाम हस्तांतरण विलेख या अन्य कोई भी विलेख पत्र अप्रार्थी सख्या 2 या अन्य कोई भी व्यक्ति पेश करे तो उसका पंजीयन ना करे व ना ही पजीयंन की कोई कार्यवाही की जावे, अप्रार्थी सख्या 1 व 3 को पाबन्द किये जाने की कृपा करे ।

प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2014 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 23.04.2015 को अप्रार्थी संख्या 02 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा निवदेन किया गया कि प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के समक्ष अविधिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त खसरा संख्या 208/2 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा अप्रार्थी उत्तरकर्ता को कार्यालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ6 ;9) राज-6/96 पार्ट 39 दिनांक 8.12.2010 के अनुसरण में लगान का 20 गुणा पूंजीगत मूल्य वसूल कर हस्तान्तरित की गयी थी। जिसकें अनुक्रम में अप्रार्थी उत्तरकर्ता द्वारा राजकोष में नियमानुसार पूंजीगत मूल्य निक्षेपित करवाया गया एवं उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 20.1.2012 को कब्जा भी संभलाया गया। इस अनुकम में प्रथम दृष्टयां ही उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी उत्तरकर्ता के विरूद्ध अप्रार्थी उत्तरकर्ता को हस्तान्तरित भूमि के बाबत् अधिकार, घोषणा का अनुतोष चाहा है एवं वाद संस्थन पूर्व नगरपालिका अधिनियम की धारा 304 के तहत नोटिस भी नही दिया गया है। अतः इस परिपेक्ष में प्रार्थीगण द्वारा संस्थित वाद चलने योग्य नहीं है। जब वाद ही चलने योग्य नहीं है तो प्रार्थना पत्र स्वतः निरस्तनीय है। प्रार्थीगण ने माननीय

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में गलत आधारों पर वाद एवं प्रार्थना पत्र संस्थित किया है। उपरोक्त भूमि सिवायचक होकर अप्रार्थी उत्तरकर्ता को हस्तान्तरित की गयी थी तथा उपरोक्त भूमि शहरी क्षेत्र की होने से प्रार्थीगण वर्णितानुसार अनुतोष अधिकार घोषणा डिक्री प्राप्ति के अधिकारी नही है। प्रार्थी के कथन गलत है एवं अस्वीकार है कि वाद अधीन भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा हो एवं प्रार्थीगण का उपरोक्त भूमि पर हक, हिस्सा, अधिकार हो। प्रार्थीगण ने मिथ्या आधारों पर वाद संस्थित किया है। उपरोक्त भूमि अप्रार्थी उत्तरकर्ता को अंतरित है। जिसकी अप्रार्थी उत्तरकर्ता राशि राजकोष में निक्षेपित करवा चुका हैं। यह अस्वीकार है कि उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज हो। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 5 के कथन प्रार्थीगण के वर्णितानुसार स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी उत्तरकर्ता ने उपरोक्त भूमि पूंजीगत मूल्य राशि जमा करवाकरए जिला कलक्टर अजमेर द्वारा दिनांक 1.9.2011 को आदेश कमांक क.अ./राजस्व/एफ 12 (सी)/11/147 द्वारा जारी सूची अनुसार अन्तरित की गयी थी तथा उपरोक्त भूमि का कब्जा भी दिनांक 20.1.2012 को संभलाया गया। इस परिपेक्ष में पैरा संख्या 5 के कथन गलत है एवं अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 6 के कथन प्रार्थीगण के वर्णितानुसार स्वीकार नही है। उपरोक्त वाद अधीन भूमि अप्रार्थी उत्तरकर्ता को पूंजीगत मूल्य राशि जमा करवाने के उपरान्त प्राप्त हुयी थी तथा इसी अनुक्रम में राज्यादेश के आदेश अनुसार भूमि अन्तरण से अप्रार्थी उत्तरकर्ता के विरूद्ध प्रार्थीगण का वाद एवं प्रार्थना पत्र व्यय विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्तनीय है। अत श्रीमान से निवेदन है की प्रार्थी का प्रार्थना पात्र मय हर्जे खर्चे के ख़ारिज फ़रमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में दिनांक 11.12.2024 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 11.12.2024 को उनका जवाब बन्द किया गया तथा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः— पत्रावली पर उपलब्ध हाल जमाबन्दी के अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 के नाम दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 02 ही वादअधीन भूमि का रिकार्डेड खातेदार है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में सिद्व होता है।

सुविधा का संतुलनः— पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का वादअधीन भूमि पर वर्तमान में कब्जा काश्त सिद्व नहीं होता है तथा हाल जमाबन्दी के अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 के नाम दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 02 का ही वादअधीन भूमि पर कब्जा है। जिससे सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में सिद्व होता है।

अपूरणिय क्षतिः— अप्रार्थी संख्या 02 ही वादअधीन भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा यदि अप्रार्थीगणो को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगणों को कारित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13-01-25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner